[2018] 3 उम. नि. प. 476

नरेश और अन्य

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

25 अप्रैल, 2018

न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 307, 323, 324 और 34 – हत्या का प्रयत्न – दोषसिद्धि और दंडादेश – जब आहत व्यक्ति को पहुंची क्षतियों की प्रकृति गंभीर न हो और कोई स्थायी नि:शक्तता कारित न हुई हो तथा अभियुक्त एक वर्ष का कारावास भुगतने के पश्चात् जमानत पर रहते हुए किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त न पाए गए हों, तब अभियुक्तों पर अधिरोपित कारावास को उनके द्वारा पहले ही भुगत ली गई अवधि तक कम करने और आहत व्यक्ति को देय जुर्माने की रकम को बढ़ाने मात्र से न्याय की पूर्ति हो सकती है ।

इस मामले के तथ्यों के अनुसार, चार अभियुक्त-अपीलार्थियों ने तारीख 26 मई, 1998 को तेज सिंह नामक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला किया और उसके शरीर पर क्षतियां (खरोंच, नील और एक विदीर्ण घाव) कारित कीं । इस घटना को लेकर चारों अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । तद्नुसार, चारों अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया गया और उनका विचारण किया गया । अपर सेशन न्यायाधीश, हरिद्वार ने सभी चारों अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया । राज्य और शिकायतकर्ता ने व्यथित होकर अभियुक्तों की दोषमुक्ति के आदेश की वैधता और शुद्धता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें फाइल कीं । उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता और राज्य द्वारा फाइल की गई अपीलें मंजूर कीं और अपर सेशन न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा पारित किया गया आदेश अपास्त कर दिया तथा सभी चारों अभियुक्त व्यक्तियों को विभिन्न धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दंडादिष्ट किया । अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाजत लेकर अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों को भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विद्वान् काउंसेलों को सुनने और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् यह न्यायालय इन अपीलों को भागतः मंजूर करने और जहां तक सुरेश अभियुक्त सं. 2 (इस अपील में अपीलार्थी सं. 2) का संबंध है, अपर सेशन न्यायाधीश के आदेश को प्रत्यावर्तित करते हुए उसे आरोपों से दोषमुक्त करने के लिए तत्पर हैं । जहां तक शेष तीन अभियुक्त-अपीलार्थियों अर्थात् अपीलार्थी सं. 1, 3 और 4 का संबंध है, यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उनके अपने-अपने कारागार के दंडादेशों को उपांतरित करता है और उनके द्वारा पहले ही भुगत ली गई अवधि तक कम करता है तथा उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक अपीलार्थी पर अधिनिर्णीत 7,000/- रुपए की जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 75,000/- रुपए करता है । यह न्यायालय ऐसा निम्नलिखित कारणों की वजह से कर रहा है । प्रथम, घटना वर्ष 1998 की है और अब हम वर्ष 2018 में हैं । दूसरे शब्दों में, अब तक लगभग बीस वर्ष बीत गए हैं और यह मुकदमेबाजी विभिन्न न्यायालयों में लंबित है । द्वितीय, डाक्टर द्वारा क्षतिग्रस्त तेज सिंह के शरीर पर सात क्षतियां पाई गई थीं, किंतु जो क्षतियां पाई गई थीं वे बहुत गंभीर प्रकृति की नहीं थीं, ऐसा डाक्टर की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है । तृतीय, तेज सिंह को उसके शरीर पर पहुंची क्षतियों की वजह से कोई स्थायी निःशक्तता तो दूर कोई निःशक्तता कारित ही नहीं हुई थी और वह अभिकथित घटना की तारीख के पश्चात् से 25 वर्ष तक जीवित रहा, और जैसा कि अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा बताया गया, उसकी अभी हाल ही में पिछले सप्ताह मृत्यु हुई है । चतुर्थ, अपीलार्थी सं. 2 सुरेश (अभि. 2), जो लगभग तीन माह कारावास में रहा है, को छोड़कर सभी अपीलार्थियों (अभियुक्तों) ने उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत कारागार के कुल दंडादेश में से परिहार सहित लगभग एक वर्ष का कारागार दंडादेश भुगत लिया है । पंचम, सभी अपीलार्थी पहली बार के अपराधी हैं और पिछले 20 वर्षों में किसी आपराधिक गतिविधि में अंतर्ग्रस्त नहीं पाए गए हैं, यद्यपि इस सारे समय वे जमानत पर रहे हैं और अंतिम बात यह कि अपीलार्थी सं. 2 और 3 के बारे में यह बताया गया है कि वे सरकारी सेवा में हैं । तथापि, जहां तक अपीलार्थी सं. 1, 3 और 4 की प्रश्नगत अपराध कारित करने में अंतर्ग्रस्तता का संबंध है, इस न्यायालय ने प्रत्येक के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का परिशीलन किया है और यह पाया है कि इस न्यायालय द्वारा तथ्य के ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने

का कोई मामला नहीं बनता है, भले ही यह निर्णय को उलटने का मामला है । इस न्यायालय के मत में, यह न्यायसंगत और उचित है और इसलिए अपीलार्थी सं. 1, 3 और 4 की दोषसिद्धि के निष्कर्ष को कायम रखा जाता है । इन सभी पूर्वोल्लिखित कारणों से, जो इस मामले के तथ्यों में सुसंगत हैं, यह न्यायालय केवल उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत कारागार के दंडादेश की मात्रा में हस्तक्षेप करने और उनके कारागार के दंडादेश को उनके द्वारा पहले ही भुगत लिए गए दंडादेश तक कम करने के लिए तत्पर है तथा साथ-ही-साथ अपीलार्थी सं. 1, 3 और 4 पर उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने की रकम में बढ़ोतरी करना न्यायसंगत और उचित समझता है । जहां तक अपीलार्थी सं. 2 सुरेश (अभि. 2) का संबंध है, इस न्यायालय ने अपर सेशन न्यायाधीश के निष्कर्ष का परिशीलन किया है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी दोषमुक्ति हुई है, और साथ ही उच्च न्यायालय के उस निष्कर्ष का भी परिशीलन किया है जिसके परिणामस्वरूप उसकी दोषसिद्धि की गई है । प्रश्नगत घटना में अपीलार्थी सं. 2 सुरेश की भूमिका और अंतर्ग्रस्तता का विनिश्चय करने वाले दोनों निष्कर्षों का परिशीलन करने के पश्चात् इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि तेज सिंह को क्षतियां पहुंचाने में अपीलार्थी सं. 2 की भूमिका और अंतर्ग्रस्तता युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं होती है और इसलिए अपीलार्थी सं. 2 सुरेश उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किए जाने का दायी है । अपीलार्थियों (सं. 1, 3 और 4) में से किसी के द्वारा जुर्माने की रकम जमा करने में असफल रहने पर आक्षेपित निर्णय पुनः प्रवर्तित हो जाएगा और ऐसी स्थिति में व्यतिक्रमी अपीलार्थी (अपीलार्थियों) को आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत शेष कारागार दंडादेश भुगतने के लिए अभिरक्षा में लिया जाएगा । (पैरा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 28)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 394-395 और इसके साथ 2018 की दांडिक अपील सं. 396.

2011 की दांडिक अपील सं. 91 और 2011 की सरकारी अपील सं. 42 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के तारीख 10 जुलाई, 2017/17 जुलाई, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान, 1950 के अनुच्छेद 134 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से — सर्वश्री सुशील कुमार जैन, ज्येष्ठ अधिवक्ता, अजय वीर सिंह जैन, (सुश्री) ममता जैन, उदयराम बोकाड़िया, अतुल अग्रवाल, (सुश्री) दिव्या गर्ग, राकेश कुमार खरे और सोनल जैन

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री आशुतोष कुमार शर्मा, जतिन्द्र कुमार भाटिया, पंकज कुमार सिंह, मुकेश वर्मा, पवन कुमार शुक्ला और यशपाल ढ़ीगड़ा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

न्या. सप्रे -- 2018 की दांडिक अपील सं. 394-395.

1. ये अपीलें अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा 2011 की दांडिक अपील सं. 91 (शिकायतकर्ता द्वारा फाइल की गई) और 2011 की सरकारी अपील सं. 42 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 10 जुलाई, 2017/17 जुलाई, 2017 को पारित उस सामान्य अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने राज्य और शिकायतकर्ता की अपीलें मंजूर कीं और 1999 के सेशन विचारण सं. 286 में अपर सेशन न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा तारीख 16 मार्च, 2011 को पारित आदेश को अपास्त कर दिया और अभियुक्त व्यक्तियों नरेश, सुरेश, अशीष **उर्फ** शेषराज और राजेन्द्र को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "भारतीय दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 307/34, 323/32, 324/34 और 504 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषी पाया और तद्नुसार उनमें से प्रत्येक को निम्नलिखित दंडादेश दिया :–

अभियुक्त	विचारण न्यायालय	उच्च न्यायालय
नरेश (अभि. 1)	भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34, 323/32, 324/34 और 504 के अधीन दोषमुक्त	भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34, 323/32, 324/34 और 504 के अधीन दोषसिद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन पांच वर्ष का

		कठोर कारावास और 5,000/- रुपए का जुर्माना भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के अधीन 6 माह का कठोर कारावास और 500/- रुपए का जुर्माना भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 के अधीन 2 वर्ष का कठोर कारावास और 500/- रुपए का जुर्माना भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अधीन 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000/- रुपए का जुर्माना
सुरेश (अभि. 2)	भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34, 323/32, 324/34 और 504 के अधीन दोषमुक्त	भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34, 323/32, 324/34 और 504 के अधीन दोषसिद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन पांच वर्ष का कठोर कारावास और 5,000/- रुपए का जुर्माना भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के अधीन 6 माह का कठोर कारावास और 500/- रुपए का जुर्माना भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 के अधीन 2 वर्ष का कठोर कारावास और 500/- रुपए का जुर्माना भारतीय दंड संहिता की धारा

		504 के अधीन 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000/- रुपए का जुर्माना (तथापि), फेफड़े का कैंसर अग्रिम प्रक्रम पर होने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन 2 वर्ष का कठोर कारावास
अशीष **उर्फ** शेषराज (अभि. 3)	भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34, 323/32, 324/34 और 504 के अधीन दोषमुक्त	भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34, 323/32, 324/34 और 504 के अधीन दोषसिद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन पांच वर्ष का कठोर कारावास और 5,000/- रुपए का जुर्माना भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के अधीन 6 माह का कठोर कारावास और 500/- रुपए का जुर्माना भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 के अधीन 2 वर्ष का कठोर कारावास और 500/- रुपए का जुर्माना भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अधीन 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000/- रुपए का जुर्माना
राजेंद्र (अभि. 4)	भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34, 323/32, 324/34	भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34, 323/32, 324/34 और 504 के अधीन दोषसिद्ध

	और 504 के अधीन दोषसिद्ध	भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन पांच वर्ष का कठोर कारावास और 5,000/- रुपए का जुर्माना भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के अधीन 6 माह का कठोर कारावास और 500/- रुपए का जुर्माना भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 के अधीन 2 वर्ष का कठोर कारावास और 500/- रुपए का जुर्माना भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अधीन 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000/- रुपए का जुर्माना

2. इन अपीलों में अंतर्वलित विवाद्यक का मूल्यांकन करने के लिए कुछ सुसंगत तथ्यों का इसमें नीचे उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है ।

3. इस अपील में अपीलार्थी अभियुक्त हैं । वे नरेश (अभि. 1), सुरेश (अभि. 2), अशीष (अभि. 3) और राजेन्द्र ((अभि. 4) हैं ।

4. इन चारों अभियुक्तों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34, 323/34, 324/34 और 504 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए अभियोजन का सामना किया था ।

5. इन चारों अपीलार्थियों के विरुद्ध अभियोजन का पक्षकथन संक्षेप में यह था कि तारीख 26 मई, 1998 को उन्होंने तेज सिंह नामक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला किया और उसके शरीर पर क्षतियां कारित कीं । क्षतियां खरोंच, नील और एक विदीर्ण घाव थीं (डाक्टर की राय-अपील की कागजात पुस्तिका का पृष्ठ 86-उपाबंध पी/2 देखें) ।

6. इस घटना को लेकर अभि. सा. 4, जसवीर सिंह द्वारा तारीख 27

मई, 1998 को चारों अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस थाना हरिद्वार-लक्सर में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (सं. 83/1998) फाइल की गई । तद्नुसार, चारों अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया गया और उनका विचारण किया गया । अपर सेशन न्यायाधीश, हरिद्वार ने तारीख 16 मार्च, 2011 के आदेश द्वारा सभी चारों अपीलार्थियों (अभियुक्तों) को दोषमुक्त कर दिया ।

7. राज्य और शिकायतकर्ता ने व्यथित होकर अपीलार्थियों की दोषमुक्ति के आदेश की वैधता और शुद्धता को प्रश्नगत करने के लिए अनुज्ञा देने की ईप्सा करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें फाइल करने के लिए इजाजत याचिका फाइल की । इजाजत दी गई । नरेश कुमार (अभि. 1) ने भी उच्च न्यायालय के समक्ष 2011 की दांडिक अपील सं. 126 फाइल की ।

8. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा शिकायतकर्ता और राज्य द्वारा फाइल की गई अपीलें मंजूर कीं और अपर सेशन न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा पारित किया गया आदेश अपास्त कर दिया तथा सभी चारों अभियुक्त व्यक्तियों को ऊपर उल्लिखित विभिन्न धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दंडादिष्ट किया ।

9. तथापि, सुरेश (अभि. 2) की बीमारी अर्थात् फेफड़े के अग्रिम स्तर के कैंसर, पर विचार करते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । न्यायालय ने राज्य को निदेश दिया कि उसे चिकित्सीय उपचार के लिए सिविल अस्पताल, रुड़की में भर्ती कराया जाए ।

10. अपीलार्थी (अभियुक्त) उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित हुए और इस न्यायालय में विशेष इजाजत लेकर ये अपीलें फाइल कीं ।

11. इन अपीलों में विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उद्भूत होता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश को उलट कर और अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करके न्यायोचित किया है या नहीं ।

12. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री सुशील कुमार जैन और प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री आशुतोष कुमार शर्मा को सुना ।

13. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् हम इन अपीलों को भागतः मंजूर करने और जहां तक सुरेश-अभियुक्त सं. 2 (इस अपील में अपीलार्थी सं. 2) का संबंध है, अपर सेशन न्यायाधीश के आदेश को प्रत्यावर्तित करते हुए उसे आरोपों से दोषमुक्त करने के लिए तत्पर हैं ।

14. जहां तक शेष तीन अभियुक्त-अपीलार्थियों अर्थात् अपीलार्थी सं. 1, 3 और 4 का संबंध है, हम ऊपर उल्लिखित उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उनके अपने-अपने कारागार के दंडादेशों को उपांतरित करते हैं और उनके द्वारा पहले ही भुगत ली गई अवधि तक कम करते हैं तथा उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक अपीलार्थी पर अधिनिर्णीत 7,000/- रुपए की जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 75,000/- रुपए करते हैं ।

15. यह हम निम्नलिखित कारणों की वजह से कर रहे हैं ।

16. प्रथम, घटना वर्ष 1998 की है और अब हम वर्ष 2018 में हैं । दूसरे शब्दों में, अब तक लगभग बीस वर्ष बीत गए हैं और यह मुकदमेबाजी विभिन्न न्यायालयों में लंबित है ।

17. द्वितीय, डाक्टर द्वारा क्षतिग्रस्त तेज सिंह के शरीर पर सात क्षतियां पाई गई थीं, किंतु जो क्षतियां पाई गई थीं वे बहुत गंभीर प्रकृति की नहीं थीं, ऐसा ऊपर उल्लिखित डाक्टर की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है ।

18. तृतीय, तेज सिंह को उसके शरीर पर पहुंची क्षतियों की वजह से कोई स्थायी निःशक्तता तो दूर कोई निःशक्तता कारित ही नहीं हुई थी और वह अभिकथित घटना की तारीख के पश्चात् से 25 वर्ष तक जीवित रहा, और जैसा कि अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा बताया गया, उसकी अभी हाल ही में पिछले सप्ताह मृत्यु हुई है ।

19. चतुर्थ, अपीलार्थी सं. 2 सुरेश (अभि. 2), जो लगभग तीन माह कारावास में रहा है, को छोड़कर सभी अपीलार्थियों (अभियुक्तों) ने उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत कारागार के कुल दंडादेश में से परिहार सहित लगभग एक वर्ष का कारागार दंडादेश भुगत लिया है ।

20. पंचम, सभी अपीलार्थी पहली बार के अपराधी हैं और पिछले 20 वर्षों में किसी आपराधिक गतिविधि में अंतर्ग्रस्त नहीं पाए गए हैं, यद्यपि इस सारे समय वे जमानत पर रहे हैं और अंतिम बात यह कि अपीलार्थी सं. 2

और 3 के बारे में यह बताया गया है कि वे सरकारी सेवा में हैं ।

21. तथापि, जहां तक अपीलार्थी सं. 1, 3 और 4 की प्रश्नगत अपराध कारित करने में अंतर्ग्रस्तता का संबंध है, हमने प्रत्येक के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का परिशीलन किया है और यह पाया है कि इस न्यायालय द्वारा तथ्य के ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है, भले ही यह निर्णय को उलटने का मामला है । हमारे मत में, यह न्यायसंगत और उचित है और इसलिए हम अपीलार्थी सं. 1, 3 और 4 की दोषसिद्धि के निष्कर्ष को कायम रखते हैं ।

22. इन सभी पूर्वोल्लिखित कारणों से, जो इस मामले के तथ्यों में सुसंगत हैं, हम केवल उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत कारागार के दंडादेश की मात्रा में हस्तक्षेप करने और उनके कारागार के दंडादेश को उनके द्वारा पहले ही भुगत लिए गए दंडादेश तक कम करने के लिए तत्पर हैं तथा साथ-ही-साथ अपीलार्थी सं. 1, 3 और 4 पर उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने की रकम में बढ़ोतरी करना न्यायसंगत और उचित समझते हैं ।

23. जहां तक अपीलार्थी सं. 2 सुरेश (अभि. 2) का संबंध है, हमने अपर सेशन न्यायाधीश के निष्कर्ष का परिशीलन किया है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी दोषमुक्ति हुई है, और साथ ही उच्च न्यायालय के उस निष्कर्ष का भी परिशीलन किया है जिसके परिणामस्वरूप उसकी दोषसिद्धि की गई है ।

24. प्रश्नगत घटना में अपीलार्थी सं. 2 सुरेश की भूमिका और अंतर्ग्रस्तता का विनिश्चय करने वाले दोनों निष्कर्षों का परिशीलन करने के पश्चात् हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को प्रत्यावर्तित करने के बजाय सेशन न्यायाधीश के निष्कर्ष को प्रत्यावर्तित करने के लिए तत्पर हैं । दूसरे शब्दों में, हमारा यह निष्कर्ष है कि तेज सिंह को क्षतियां पहुंचाने में अपीलार्थी सं. 2 की भूमिका और अंतर्ग्रस्तता युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं होती है और इसलिए, हमारे मत में, अपीलार्थी सं. 2 सुरेश उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किए जाने का दायी है । वह जमानत पर है क्योंकि यह बताया गया है कि वह कैंसर से पीड़ित है ।

25. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, ये अपीलें सफल होती हैं और भागतः मंजूर की जाती हैं तथा आक्षेपित निर्णय निम्नानुसार उपांतरित

किया जाता है ।

26. अपीलार्थी सं. 1, 3 और 4 को दिए गए कारागार के दंडादेश को उपांतरित किया जाता है और तद्नुसार पहले ही भुगत लिए गए दंडादेश तक कम करते हैं । दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी सं. 1, 3 और 4 को प्रश्नगत अपराधों के संबंध में और कारागार का दंडादेश भुगतने की आवश्यकता नहीं है ।

27. तथापि, जैसा की ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, अपीलार्थी सं. 1, 3 और 4 में से प्रत्येक तेज सिंह (विपदग्रस्त) के विधिक प्रतिनिधियों को 75,000/- रुपए की राशि (कुल 2,25,000/- रुपए) का संदाय करेंगे या उक्त रकम (2,25,000/- रुपए) स्वर्गीय तेज सिंह के विधिक प्रतिनिधियों को संदत्त करने के लिए न्यायालय में जमा करेंगे । अपीलार्थी सं. 1, 3 और 4 द्वारा 2,25,000/- रुपए की रकम इस आदेश की तारीख से तीन माह के भीतर जमा की जाए ।

28. अपीलार्थियों (सं. 1, 3 और 4) में से किसी के द्वारा रकम जमा करने में असफल रहने पर आक्षेपित निर्णय पुनः प्रवर्तित हो जाएगा और ऐसी स्थिति में व्यतिक्रमी अपीलार्थी (अपीलार्थियों) को आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत शेष कारागार दंडादेश भुगतने के लिए अभिरक्षा में लिया जाएगा ।

29. जहां तक अपीलार्थी सं. 2 सुरेश की अपील का संबंध है, यह मंजूर की जाती है और अपीलार्थी सं. 2 की दोषसिद्धि अपास्त की जाती है । तद्नुसार, उसे मुक्त किया जाता है । उसके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं ।

2018 की दांडिक अपील सं. 396

2018 की दांडिक अपील सं. 394-395 में पारित निर्णय को दृष्टिगत करते हुए इस अपील का निपटारा किया जाता है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

जस.